रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28122020-223973 CG-DL-E-28122020-223973

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4157]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 28, 2020/पौष 7, 1942 NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 28, 2020/PAUSHA 7, 1942

No. 4157]

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय) अधिसूचना नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2020

सं. 50 / 2015−2020

विषय: प्याज की निर्यात नीति में संशोधन ।

का.आ. 4740(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पिठत यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 7 की क्रम सं. 51 एवं 52 पर मद विवरण हेतु प्याज की निर्यात नीति में संशोधन करते हुए दिनांक 14.09.2020 की अधिसूचना संख्या 31/2015—20 में दिनांक 1 जनवरी. 2021 से निम्नलिखित संशोधन करती है:—

क्र.सं.	आईटीसी (एचएस) कोड	विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति
51	07031010 07122000	प्याज (बैंगलोर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम प्याज को छोड़कर सभी किस्में) कटी हुई, टुकड़ों में अथवा पाउडर के रूप में तोड़ी हुई को छोड़कर।	निषिद्ध	मुक्त
52	07031010 07122000	बैंगलोर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम प्याज कटी हुई, टुकड़ों में अथवा पाउडर के रूप में तोड़ी हुई को छोड़कर।	निषिद्ध	मुक्त

6379 GI/2020 (1)

2 इस अधिसूचना का प्रभावः

ऊपर यथा वर्णित प्याज की सभी किस्मों के निर्यात को दिनांक 1 जनवरी, 2021 से "मुक्त" कर दिया गया है। तद्नुसार, बंगलौर गुलाबी और कृष्णापुरम प्याज के निर्यात से सबंधित अधिसूचना सं. 39/2015—20 को भी 1 जनवरी, 2021 से वापस लिया जाता है।

> [फा. सं. 01/91/180/922/एएम 08/ईसी/खण्ड 4] अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2020

No. 50/2015-2020

Subject: Amendment in Export Policy of Onions.

S.O. 4740(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes the following amendment in Notification No. 31/2015-20 dated 14.09.2020 amending the Export Policy of Onion for the item description at Serial Numbers 51 & 52 of Chapter 7 of Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export & Import Items, with effect from 01.01.2021.

S.No.	ITC (HS) Code	Description	Present Policy	Revised Policy
51	07031010 07122000	Onion (all varieties except Bangalore Rose onions and Krishnapuram onions) excluding cut, sliced or broken in powder form.	Prohibited	Free
52	07031010 07122000	Bangalore Rose onions and Krishnapuram onions excluding cut, sliced or broken in powder form.	Prohibited	Free

2. Effect of this Notification:

The Export of all varieties of Onions, as described above, has been made "Free" with effect from 01.01.2021.

Accordingly, the Notification No. 39/2015-20 dated 09.10.2020 related to export of Bangalore Rose and Krishnapuram Onions also stands withdrawn with effect from 01.01.2021.

[F. No. 01/91/180/922/AM08/EC/Vol. 4]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade

& Ex-Officio Addl. Secy.